

19-08-2017

अधिकारी मंडल की बैठक

विषय- सामग्री

① आज 19/08/2017 को परिषद द्वारा एक शैक्षणिक अवसर के लिए कुलकर्णी R-4 (सामग्री का बजाय राजभवन) में आयोजित (मुख्य 12:00 बजे) की गयी है। इसके लिए विभागीय उपायकारी द्वारा —

① सामग्री के लिए लिपानी

~~साप्तरी विषय~~
19/8/17

② डॉ. रमेश गंगाधार

~~साप्तरी विषय~~
19/8/17

③ डॉ. एम. कुमार

S. R. Das
19/8/17

④ डॉ. एकांकी जोशी

~~साप्तरी विषय~~
19/8/17

⑤ डॉ. संजाय लिपानी (संसदीय-सामग्री का)
प्रोफेसर बिहारी

~~साप्तरी विषय~~
19/8/17

इस बैठक के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव रखवाएँ।

① सामग्री के लिए विषय के बाबूकर्ण की समीक्षा।

② सामग्री के लिए विषय के बाबूकर्ण पर संचारित सामग्री के लिए स्नातकों द्वारा बाबूकर्ण पर तैयार सब-संदर्भ सामग्री की समीक्षा लिया जायेगा।

③ सामग्री के लिए विषय के लिए स्नातकों द्वारा प्राप्ति का PPR विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाना चाहिए।

④ सामग्री के लिए विषय के लिए एक ऐसा कामकाज MSc विषय का PPR विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाना चाहिए।

⑤ सब-संदर्भ सामग्री, MSc के लिए तीव्र की सामग्री, साप्तरी विषय।

① सामग्री के लिए विषय के बाबूकर्ण की समीक्षा के लिए स्नातकों द्वारा दियी जानी चाहिए उत्तराधिकारी, "सामग्री के लिए विषय" का एक ऐसी लिखी जानी चाहिए जो एक सामग्री के लिए उत्तराधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए।

② स्नातकों द्वारा साप्तरी विषय की समीक्षा विषय का विषय।

सातक ले सापेक्षता प्राप्ति के कारण यही, जो
मैं दालों के वर्तमान के लिए अपेक्षित हो गयी।

- ③ विवर- समाजशास्त्र के सातक ले सापेक्षता के प्राप्ति
को PPR विवर- भवित्वात् आद्यर इसलिए गंगा के लिए
अपेक्षित ही, ही।
- ④ यह चाहत है- समाजकाम के अंतर्गत, M.S.W. को
इस करने के लिए ऐसे PPR विवर- अपेक्षित होना।
- ⑤ M.S.W. धाराओं के लिए इसके विवर- अपेक्षित होना।

~~Saptao dekham~~
19/8/17

S.R.Das
19/8/17

Sapto dekham
19/8/17

19/8/17
Gaurav
19/8/17

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद् की 24 वीं (आपात) बैठक
दिनांक 12/09/2017, दिन मंगलवार
समय : 12:00 बजे दोपहर
स्थान – सिरपुर प्रशासनिक भवन, बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 24 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 24 वीं (आपात) बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 12/09/2017 को दोपहर 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह — अध्यक्ष
कुलपति
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. डॉ. बी.एल. गोयल — सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
3. प्रो तीर्थेश्वर सिंह — सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला— अनूपपुर (म0प्र0)
4. डॉ. बी. डी. मिश्रा — सदस्य
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
5. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह — सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक)
6. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति — सदस्य
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)

7. डॉ. प्रकृति जेम्स – सदस्य
 सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
 पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
 छत्तीसगढ़, बिलासपुर
 (माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
8. डॉ. प्रीति रानी मिश्रा – सदस्य
 सहायक प्राध्यापक
 पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
 छत्तीसगढ़, बिलासपुर
 (माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
9. डॉ. राज कुमार सचदेव – सचिव
 कुलसचिव
 पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
 छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. आयुक्त – सदस्य
 उच्च शिक्षा संचालनालय
 नया रायपुर (छ.ग.)
2. प्रो. एस. के. जाधव – सदस्य
 प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी)
 पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
 रायपुर (छ.ग.)
3. श्री शंशाक शर्मा – सदस्य
 संचालक
 छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
 रायपुर (छ.ग.)
4. डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी – सदस्य
 आचार्य
 स्कूल ऑफ एजुकेशन
 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
 नई दिल्ली
 (माननीय कुलपति जी इग्नू द्वारा नामांकित)

माननीय कुलपति जी के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात्
 कुलसचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे
 गये –

प्रस्ताव कं 1 विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की 23 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुये पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव क्रं 2 अकादमिक कैलेण्डर वर्ष 2018–19 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विद्यापरिषद् के द्वारा संशोधन के साथ अकादमिक कैलेण्डर वर्ष 2018–2019 का अनुमोदन किया गया। संशोधित प्रति संलग्न।

प्रस्ताव क्रं 3 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 02 (Doctor of Philosophy) में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्यापरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं 4 एक अकादमिक वर्ष में, एक छात्र को उपाधि/पत्रोपाधि दिये जाने पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कोई भी विद्यार्थी रेगुलर मोड या डिस्टेंस मोड से एक डिग्री या एक डिप्लोमा या दो डिप्लोमा एकसाथ कर सकता है, परन्तु दो डिग्री एक साथ करने के लिये मना किया गया।

प्रस्ताव क्रं 5 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 14 एवं 15 में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् द्वारा अध्यादेश क्रमांक 14 एवं 15 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी कि दोनों अध्यादेशों में कंडिका 8 एवं 9 को विस्थापित करते हुये 'as per decision of academic council from time to time' किया गया।


प्रस्ताव क्रं 6 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 26 में संशोधन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा सर्वसम्मति से अध्यादेश क्रमांक 26 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी कि कोर्स का शीर्षक 'Master of Arts (Education)' के स्थान पर 'Master of Arts in Education' किया गया।

प्रस्ताव क्रं 7 विभिन्न विषयों के अध्ययन मंडलों के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

- निर्णय –** विद्या परिषद् के द्वारा सर्वसम्मति से विभिन्न अध्ययन मंडलों के कार्यवाही-विवरण का अनुमोदन एवम् संशोधन निम्नानुसार किया गया –
- (1) विद्या परिषद् के द्वारा समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, शिक्षा, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ग्रंथालय विज्ञान, भौतिक शास्त्र, जुलाजी, गणित, हिन्दी, संस्कृत, रसायन विज्ञान, बॉटनी एवम् कम्प्यूटर सांइंस विषय के अध्ययन मंडल की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
 - (2) प्रबंधन विषय के अध्ययन मंडल की कार्यवाही विवरण में विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन करते Bachelor of Business Administration (BBA) हेतु अध्यादेश क्रमांक 49 का अनुमोदन किया गया। यह भी कि दिनांक 04/09/2017 की बैठक में सुझाव क्रमांक 04 में Structure of Examination में परिवर्तन को अमान्य किया गया।
 - (3) वाणिज्य विषय के अध्ययन मंडल की कार्यवाही विवरण में सभी प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुये Master of Commerce (M.Com.) हेतु अध्यादेश क्रमांक 50 का अनुमोदन किया गया।
 - (4) विधि विषय के अध्ययन मंडल की कार्यवाही विवरण में सभी प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुये L.L.M. संबंधी अध्यादेश क्रमांक 34 में संशोधन पारित किया गया।
 - (5) योग विज्ञान विषय के अध्ययन मंडल की कार्यवाही विवरण में सभी प्रस्तावों का सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुये अध्यादेश क्रमांक 22 में 'Under the department of Indian Philosophy, Jyotish and Yogic Science' के स्थान पर 'Under the department of Psychology' करना मान्य किया गया तथा अध्यादेश के बिन्दु क्रमांक 4, 6 एवम् 7 में वर्णित विवरण के स्थान पर 'As per decision of the Board of Studies' मान्य किया गया। साथ ही बिन्दु क्रमांक 11 'Pass Percentage and Division' के स्थान पर 'Pass Grade' मान्य किया गया।
- बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करते हुये बैठक समाप्त की गई।

R. Kumar
 (राज कुमार सचिव)
 कुलसचिव / सचिव


 12-9-17
 (बंश गोपाल सिंह)
 कुलपति / अध्यक्ष

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कार्यवाही-विवरण

कार्य परिषद् की 65 वीं (आपात) बैठक
दिनांक 15/09/2017, दिन शुक्रवार
समय : 12:00 बजे पूर्वान्ह
स्थान – सिरपुर प्रशासनिक भवन, बिलासपुर

विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की 65 वीं बैठक का कार्यवाही—विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्य परिषद् की 65 वीं (आपात) बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 15/09/2017, दिन शुक्रवार, समय 12:00 बजे पूर्वान्ह विश्वविद्यालय मुख्यालय के “सिरपुर प्रशासनिक भवन” में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह — अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. प्रो. देबाल कुमार सिंहरौय — सदस्य
आचार्य
समाजशास्त्र अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
(कुलपति, इन्हनू के द्वारा मनोनीत)
3. श्री एस.के. चक्रवर्ती — सदस्य
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)
4. डॉ. एस. आर. पटेल — सदस्य
पूर्व अधिष्ठाता
ठाकुर छेदीलाल बेरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र
बिलासपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)
5. श्री ओ. पी. सिंघानिया — सदस्य
62/6, नेहरू नगर, ईस्ट
अग्रसेन मार्ग, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)
6. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह — सदस्य
विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)
7. डॉ. राजकुमार सचदेव — सचिव
कुलसचिव

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. श्री राजशरण भगत — सदस्य
उपाध्यक्ष
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)
2. श्री भोजराज नाग — सदस्य
उपाध्यक्ष
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)
3. सचिव — सदस्य
छ.ग. शासन
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
4. डॉ. डी. एन. वर्मा — सदस्य
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)
5. श्री एस. एल. नायक — सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नामांकित)
6. डॉ. एस. के. जाधव — सदस्य
प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

कार्य परिषद् की बैठक के प्रारंभ में माननीय कुलपति जी के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों स्वागत किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव कं 1 लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्यों हेतु राशि स्वीकृत करने पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा द्वितीय चरण में हॉस्टल, आवासीय भवन टाइप 1, 2, 3 एवम् 4 तथा मुख्य गेट के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह निर्णय

लिया गया कि टेन्डर हो जाने के पश्चात् कार्यादेश के समय किश्त जारी किया जाये।

प्रस्ताव कं 2 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को काउंसलिंग व्यय की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्कृत, अंग्रेजी एवं गणित विषय में काउंसलिंग हेतु पूर्व से स्थापित अध्ययन केन्द्रों पर काउंसलिंग की व्यवस्था की जाये तथा प्रति सत्र 5 कक्षाएं सुनिश्चित किया जाय।

प्रस्ताव कं 3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन, 2017 के अनुसार परीक्षा केन्द्रों में सीसीटीवी लगाये जाने पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षा केन्द्रों से किराये पर विडियोग्राफी हेतु चर्चा की जाय तथा व्यय का अनुमान कर व्यवस्था की जाय।

प्रस्ताव कं 4 विद्या परिषद् की 24 वीं बैठक के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के कार्यवाही विवरण पर निम्नानुसार अनुमोदन किया गया –

प्रस्ताव क्रं.	प्रस्ताव पर लिया गया निर्णय
1	स्वीकार किया गया।
2	जनवरी-जून चक्र में सत्रीय कार्य हेतु 16 से 31 अगस्त तथा सन्त्रात परीक्षा हेतु 1 दिसम्बर से एवम् परीक्षा परिणाम हेतु 28 फरवरी, 2019 मान्य किया गया।
3	स्वीकार किया गया।
4	इस विश्वविद्यालय या इसके साथ अन्य विश्वविद्यालय से एक साथ एक डिग्री एवम् एक डिप्लोमा मान्य होगा परन्तु दो डिग्री एक साथ मान्य नहीं होगा।
5	स्वीकार किया गया।
6	स्वीकार किया गया।
7	स्वीकार किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –

प्रस्ताव कं 5 विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को इस विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु निर्धारित शुल्क में छूट दिये जाने पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा सभी कर्मचारियों हेतु उनके स्वयं, पत्नी, पुत्र-पुत्रियों (दो तक) हेतु पाठ्यक्रम शुल्क का 50 प्रतिशत छूट मान्य किया गया। परन्तु यह बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये मान्य नहीं होगा।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करते हुये बैठक समाप्त की गई।

रिमार्ट
(राजकुमार सचदेव) 15.9.17
कुलसचिव/सचिव

MS/
(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष